

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

सुखराम खोखर  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
27.02.2020

मिसल नम्बर  
04/2015/प्रा.पत्र/2015

तारीख दायरा  
20.02.2015

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक
- 3-श्री अमित गुप्ता निवासी बी-82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0 प्रोपराइटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1-37/एच 1/37 ए सरना डूगर इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर
- 4- मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1-37/एच 1/37 ए सरना डूगर इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26  
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं तथा 3,4 की ओर से उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.03.2013 को समय 3.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड. मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका

*Neer*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

1028



परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री चन्द्र प्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता चन्द्र प्रकाश जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में कागज के कार्टूनो में 500 एम एल पक की 30 डिब्बे/पैकेट रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) रखे हुये में से 4 मूल पैक अवस्था ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री चन्द्र प्रकाश जैन को रु0 140/-अक्षरे एक सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो अलग-अलग चार भागो में विभाजित कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-476 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-476 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. चन्द्र प्रकाश जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्य करते समय श्री चन्द्र प्रकाश जैन ने मौके पर रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) बतोर वारन्टी मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1-37/एच 1/37 ए सरना डूगर इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर से खरीद करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/1548 दिनांक 10.04.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/78/एक्ट/2013/78 दिनांक 21.03.2013 अनुसार चन्द्र प्रकाश जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइंड पाम

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

1029



ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।


अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइंड पाम ऑयल (कन्हैया ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अमित गुप्ता निवासी बी-82 एल.एस. नगर नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर राज0 प्रोपराइटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एगो फूड प्रोडक्ट एच 1-37/एच 1/37 ए सरना डूगर इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(सुखराम खोखर)  
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0

